संख्याः 31/ 2022 / 749/ सत्रह-म-2022-001-17-1002(099)/ 4/2021

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषयः प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में अलाभार्थीपरक परियोजना के रूप में स्थापित की जा रही ''स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण'' परियेाजना हेतु केन्द्रांश रू0 750.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा उसे आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 305/ पुनर्विनियोग/ नि0शा0/ 2022-22 दिनांक 19.07.2022 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में अलाभार्थीपरक परियोजना के रूप में संचालित की जाने वाली ''स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट, चन्दौली परियेाजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 750.00 लाख के सापेक्ष विभागीय बजट व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राम्य विकास विभाग में अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में संभावित बचत की धनराशि में से रू0 750.00 लाख का पुनर्विनियोग मत्स्य विभाग में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0101- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण 24- बृहद निर्माण कार्य मद में कराते हुए केन्द्रांश धनराशि रू0 750.00 लाख (रू0 सात करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 83 लेखाशीर्षक -4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय- 03- ग्रामीण आवास-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0102- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के060/रा040-के0)- 24- बृहद निर्माण कार्य मद में संभावित बचतों से केन्द्रांश धनराशि रू0 750.00 लाख का पुनर्विनियोग प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण हेतु संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार कराने के उपरान्त अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0101- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण -24- वृहद निर्माण कार्य मद में केन्द्रांश धनराशि रू0 750.00 लाख (रू0 सात करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(1) उक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 750.00 लाख को आहरित कर संगत एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(4) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षो और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(9) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाल व्यय रू0 750.00 लाख (रू0 सात करोड पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 लेखा शीर्षक 4405007890101- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण के मानक मद 24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-1- 120 -X -2022-23 दिनांक 20 जुलाई, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 31 /2022/ 749(1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) / ग्राम्य विकास अनुभाग-4
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में) / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / 2 / नियोजन अनुभाग-3।
(8) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।